आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांकः प8(पुस्तक क्रय)अकाद/15–16/01888/

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः–राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी द्वारा प्रकाशित नवीन पुस्तकों का अनिवार्य प्रदाय।

संदर्भः– राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी का पत्र क्रमांक रा.हि.ग्र.अ./प./बिक्री/152 दिनांक 14.12.2023।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शासन सचिव उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान द्वारा आदेश क्रमांक एफ 5(1)शिक्षा/3/95 दिनांक 28.03.03 जारी किया हुआ है। जिसमें उल्लेखित किया हुआ है कि राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी गत 30 वर्षों से भी अधिक समय से माध्यम परिवर्तन योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय स्तरीय छात्रोपयोगी पुस्तकें हिन्दी में लिखवाने एवं उन्हें प्रकाशित कर ''न लाभ न हानि'' सिद्धान्त पर उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। इस संबंध में आयुक्तालय द्वारा पत्र क्रमांक एफ8(पुस्तकालय)अकाद/निकाशि/98/पार्ट/30 दिनांक 05.03.2018 एवं एफ8(पुस्तकालय)अकाद/निकाशि/98/पार्ट/70 दिनांक 23.02.2021 के द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि राज्य सरकार के आदेश एफ 5(1) शिक्षा/3/95 दिनांक 28.03.2003 की पालना सुनिश्चित करें।

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी द्वारा पुनः निवेदन किये जाने पर आपको निर्देशित किया जाता है कि आयुक्तालय के उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर।
2. निदेशक, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
3. वेबसाइट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

(पद्मश्री पटनायक)
संयुक्त निदेशक अकादमिक

RajKaj Ref
5205558

Signature valid
Digitally signed by Padmashree Pattnaik
Designation : Professor
Date: 2023.12.19 16:46:25 IST
Reason: Approved